न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 29 सन 2020

अनवान :–

1. दीपचन्द पुत्र बागाराम जाति जाट निवासी टिडियासर तहसील नोहर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 15/02/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 88/87 के खसरा न0 325/3 की 5.4380हैक भूमि जिसका प्रार्थी अकेला खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी की वल्दियत प्रताप दर्ज कर रखी है जबकि सायल की वल्दीयत बागाराम है।

प्रार्थी के नाम भूमि दर्ज करते समय प्रार्थी की वल्दीयत बागाराम के स्थान पर प्रताप दर्ज कर दी जो गलत है प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात आधार कार्ड , पहचान पत्र , बोटर लिस्ट बैक पास बुक आदि में प्रार्थी की वल्दीयत बागाराम दर्ज है इसलिये प्रार्थी अपनी वल्दीयत प्रताप के स्थान पर बागाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी की वल्दीयत राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का फायदा नही मिल पा रहा है जिससे प्रार्थी का नापुरा होने वाला नुकसान हो रहा है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में वल्दीयत बागाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दीपचन्द पुत्र बागाराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की कि रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 88/87 के खसरा न0 325/3 की 5.4380हैक भूमि जिसका प्रार्थी अकेला खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी की वल्दियत प्रताप दर्ज कर रखी है जबकि सायल की वल्दीयत बागाराम है।

प्रार्थी के नाम भूमि दर्ज करते समय प्रार्थी की वल्दीयत बागाराम के स्थान पर प्रताप दर्ज कर दी जो गलत है प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात आधार कार्ड , पहचान पत्र , बोटर

लिस्ट बैक पास बुक आदि में प्रार्थी की वल्दीयत बागाराम दर्ज है इसलिये प्रार्थी अपनी वल्दीयत प्रताप के स्थान पर बागाराम दर्ज करवाने का अधिकारी है। सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया की रोही मौजा टिडियासर के खाता संख्या 88/87 के खसरा न0 325/3 की 5.4380हैक भूमि जिसका प्रार्थी अकेला खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम दीपचन्द पुत्र प्रताप अंकित है।

प्रार्थी का कथन है कि उसकी वल्दीयत राजस्व रिकार्ड में गलत तौर से प्रताप अंकित की गई है जबकि उसकी सही वल्दीयत बागाराम है व सभी दस्तावेजात में बागाराम दर्ज है इसलिये राजस्व रिकार्ड में भी प्रताप के स्थान पर बागाराम दर्ज की जावे।

प्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार योग्य नही है क्योकि प्रार्थी दीपचन्द को वाद भूमि बागाराम पुत्र रावताराम जाति जाट साकिन टिडियासर की वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वसीयत में स्पष्ट तौर से अंकित है कि प्रार्थी प्रताप का पुत्र है बागाराम की वसीयत के आधार पर दीपचन्द पुत्र प्रताप के नाम भूमि दर्ज हुई है वसीयत से यह पूर्णत्या स्पष्ट है कि बागाराम उसका पिता नही है बल्की प्रार्थी के दादा तनसुख का भाई है प्रार्थी की वल्दीयत वसीयत के अनुसार सही तौर से दर्ज की गई है प्रार्थी वसीयत के आधार पर वसीयत कर्ता का नाम अपनी वल्दीयत के तौर पर दर्ज करवाने का अधिकारी नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पूर्णत्या सबित हो चुका है कि प्रार्थी की वल्दीयत राजस्व रिकार्ड में प्रताप सही तौर से दर्ज की गई है जिसमें प्रार्थी किसी प्रकार का परिर्वतन करवाने का अधिकारी नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15/2/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)